

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(जी 3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाइन्स फाटक के पास, 22 मोडग, जयपुर)

ईमेल: dlbrajasthan@gmail.com

फोन नं. 0141 2222403, 2229314

क्रमांक भूमि/एफ7(ड)( )डीएलबी/2022/1442-7676

दिनांक 27/06/2022

अभ्युक्त/अधिसापी अधिकारी,  
नगर निगम/परिषद्/पालिका,  
समस्त राजस्थान।

विषय :- अवाप्ति का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं होने पर अवाप्तशुदा भूमियों के संबंध में सूचना की पूर्ति आपको प्रसारित Google Drive Link पर करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान आवासन गण्डल, रीको, अन्य विभागों एवं नगरीय निकायों द्वारा अवाप्तशुदा भूमियां जिन पर आवासीय कॉलोनियां/हॉस्टल आदि (संपूर्ण या आंशिक रूप से) सृजित/निर्मित हो चुके हैं, अवाप्ति का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता, ऐसे खसरा नम्बरों की भूमियों के संबंध में सूचना वांछित है (प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 10, जो वर्तमान में स्थगित है, अनुसार वांछित सूचना, - अभियान की मार्गनिर्देशिका 01 के पेज नम्बर 10)। अतः विभाग द्वारा आपको प्रसारित Google Drive Link पर अवाप्ति का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं होने पर अवाप्तशुदा भूमियों के संबंध में सूचना Update कर इस आशय का पत्र भी विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

**Note :-** उपर्युक्त सूचना पूर्व में कृषि भूमि की कॉलोनियों के संबंध में स्पष्टीकरण दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु संख्या 11 में अवाप्त भूमि के लेप्स होने के संबंध में Google Drive Link के माध्यम से वांछित सूचना से भिन्न है (मार्गनिर्देशिका 04 के पेज नम्बर 02-05)।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं सयुक्त सचिव

दिनांक : 27/06/2022

क्रमांक : भूमि/एफ7(ड)( )डीएलबी/2022/7677-86

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव महो., स्वायत्त शासन विभाग।

02. समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को भेजकर अनुरोध है कि विभाग द्वारा प्रसारित Google Drive Link पर अवाप्ति का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं होने पर अवाप्तशुदा भूमियों के संबंध में सूचना संबंधित नगरीय निकायों से Update करावें तथा यह भी पुष्टि कर लेवे कि उनके द्वारा अंकित सूचनाएँ सही एवं प्रमाणिक है।

03. सयुक्त निदेशक, IT Cell, निदेशालय को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु।

04. सुरक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार)

अतिरिक्त निदेशक